न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट (दौसा)

किस्म मुकदमा (फर्द अहकाम (नियम 26) फार्म 111

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रामप्यारी बनाम जगदीश वगै0 वाद पत्र इन्द्राज दुरुस्ती	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26/2/21	पत्रावली पेश हुयी। वाद पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वर्तमान आराजी खसरा नं0 352/177 रकबा 1 बीघा स्थित ग्राम थलोज तहसील लालसोट वादीनी की खातेदारी की भूमि हैं जिसमे वादीनी के पति कानाम बाबूलाल अंकित हो गया है जबकि वादीनी के पति का राजकीय दस्तावेज राशन कार्ड, आधार कार्ड, आदि में रामावतार नाम हैं। वादीनी के पति की मृत्यु दिनांक 26–12–2014 को हो चुकी है। वादीनी के पति के मृत्यु प्रमाण पत्र भी रामावतार पुत्र गुलाब चन्द यादव हैं। आराजी खसरा नं0 332/77 रकबा 4 बीघा में वादीनी के पति की खातेदारी में हिस्सा 18/80 में से हिस्सा 1/3 है, खसरा नं0 313/165 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नं0 315/171 रकबा 19 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नं0 319/171 रकबा 13 बिस्वा, खसरानं0 322/193 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा, खसरानं0 325/193 रकबा 7 बीघा, खसरा नं0 327/199 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नं0 329/199 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा जो कि नया खाता 48 के कुल 7 खसरा नम्बरान का कुल रकबा 37 बीघा 16 बिस्वा में से वादीनी के पति का हिस्सा1/4 में से हिस्सा 1/3 खसरा नं0 12 रकबा 8 बिस्वा में वादीनी के पति का हिस्सा 1/8 का 1/3 हिस्सा, खसरा नं0 161 रकबा 12 बिस्वा, खसरा नं0 170 रकबा 10 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा जो कि नया खाता संख्या 55 है में वादीनी के पति का हिस्सा 1/8 का 1/3 हिस्सा खसरा नं0 155 रकबा 5 बिस्वा मे वादीनी के पतिा का हिस्सा 1/4 का 1/3 हिस्सा ग्राम थलोज तहसील लालसोट जिला दौसा में स्थित है। वादीनी के पति की मृत्यु के उपरान्त वादीनी अपने पति की खातेदारी कृषि भूमि पर काबिज रहकर काश्त पैदावार से लाभान्वित होकर अपना व अपने परिवार का पालन पोषण करती चली आ रही है। वादीनी के पति का वास्तविक नाम रामावतार व घरेलू नाम बाबू होने के कारण उक्त आराजी जो कि वाद पत्र के चरण संख्या 1 में वर्णित की गई है के राजस्व अभिलेख जमाबन्दी वादीनी के पति का नाम वास्तविक नाम का अंकन सही रूप से नही होकर बाबूलाल पुत्र गुलाब गलत रूप से अंकत कर दिया गया जबकि वादीनी के पति का वास्तविक नाम रामावतार पुत्र गुलाब है तथा वाद पत्र के चरण संख्या 2 में वर्णित आराजी में बतौर खातेदार का नाम गलत रूप	

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज0

से बाबूलाल पुत्र गुलाब अंकित हो गया है जबकि वास्तविक नाम रामावतार पुत्र गुलाब हैं। वादीनी के पति का वास्तविक नाम से संबंधित राशन कार्ड, व पहचान पत्र एवम् मृत्यु प्रमाण पत्र जो कि राजकीय दस्तावेज है एवम् मृतक स्वर्गीय रामावतार की पहचान से संबंधित सुदृड दस्तावेज जिनमें वादीनी के पति का वास्तविक नाम का रामावतार पुत्र गुलाब अंकित हैं। वादीनी के पति रामावतार का स्वर्गवास दिनांक 26–12–2014 को चुका है तथा रामावतार के विरासत का नामान्तकरण वादीनी व वादीनी के पुत्र पुत्रीयो के नाम नही खोला गया क्योकि राजस्व रिकार्ड में वादीनी के पति का नाम बाबूलाल गलत रूप से अंकित हो गया जबकि वादीनी के पति का नाम रामावतार है। राजस्व रिकार्ड में वादीनी के पति स्वर्गीय रामावतार पुत्र गुलाब का नाम वाद पत्र के चरण संख्या 1 वर्णित आराजी खातेदार का नाम रामप्यारी पत्नी बाबूलाल की जगह रामप्यारी पत्नी रामावतार तथा वाद पत्र के चरण संख्या 2 में वर्णित आराजी में गलत रूप से अंकित खातेदार बाबूलाल पुत्र गुलाबका नाम दुरूस्त किया जाकर रामावतार पुत्र गुलाब को दुरूस्त किया जाना न्यायहित में वाजिब व जरूरी है। वादीनी ने अपने पति का नाम बाबूलाल की जगह दस्तावेजानुसार रामावतार नाम दुरूस्त करवाने हेतू कई मर्तबा राजस्व एजेन्सी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद पत्र के चरण संख्या 1 में अंकित आराजी कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी वादीनी के पति का नाम बाबूलाल गलत रूप से अंकित हो गया है को दुरूस्त कर रामप्यारी पत्नी रामावतार अंकित किया जावे तथा वाद के चरण संख्या 2 में वर्णित आराजी कृषि भूमि के खातेदारी बाबूलाल पुत्र गुलाब जो गलत इन्द्राज है को दुरूस्त कर रामावतार पुत्र गुलाब दुरूस्त किया जावे किन्तु राजस्व एजेन्सी ने वादीनी की प्रार्थना पत्र पर कोई गौर नही किया एवम् दिनांक 18–02–16 को तहसीलदार लालसोट द्वारा वादीनी के पति का नाम दुरूस्त नही किया गया एवम् नयायालय में जाकर दुरूस्ती हेतू केस करने के लिए कहां गया। वादीनी की ओर से प्रार्थना पत्र श्री अशोक कुमार शर्मा एडवोकेट ने पेश किया। कार्यालय रिपोर्ट ली जाकर प्रतिवादी की तलबी जारी की गई। प्रतिवादी से रिपोर्ट तलब करने हेतू तहरीर जारी कि गयी जिस पर प्रतिवादी ने अपनी रिपोर्ट पेश किया जो शामिल पत्रावली की गई। उभय पक्षकारान बहस सुनी गयी। वकील वादीनी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी खसरा नं0 352/177 रकबा 1 बीघा वाकै ग्राम थलोज तहसील लालसोट जिला दौसा वादीनी की खातेदारी की भूमि है। जिसमे वादीनी के पति का नाम बाबूलाल गलत अंकित हो गया है को दुरूस्त करवाकर रामप्यारी पत्नि रामावतार कि करवाया जावे तथा आराजी खसरा न0 आराजी खसरा नं0 332/77 रकबा 4 बीघा मे वादीनी के पति की

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज.)

खातेदारी मे हिस्सा 18/80 मे से हिस्सा 1/3 है, खसरा नं0 313/165 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नं0 315/171 रकबा 19 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नं0 319/171 रकबा 13 बिस्वा, खसरानं0 322/193 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा, खसरानं0 325/193 रकबा 7 बीघा, खसरा नं0 327/199 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नं0 329/199 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा जो कि नया खाता 48 के कुल 7 खसरा नम्बरान का कुल रकबा 37 बीघा 16 बिस्वा में से वादीनी के पति का हिस्सा1/4 में से हिस्सा 1/3 खसरा नं0 12 रकबा 8 बिस्वा में वादीनी के पति का हिस्सा 1/8 का 1/3 हिस्सा, खसरा नं0 161 रकबा 12 बिस्वा, खसरा नं0 170 रकबा 10 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा जो कि नया खाता संख्या 55 है में वादीनी के पति का हिस्सा 1/8 का 1/3 हिस्सा खसरा नं0 155 रकबा 5 बिस्वा मे वादीनी के पति का हिस्सा 1/4 का 1/3 हिस्सा ग्राम थलोज तहसील लालसोट जिला दौसा में स्थित है बतौर खातेदार राजस्व एजेन्सी द्वारा गलत अंकित किए गए नाम बाबूलाल पुत्र गुलाब गलत रूप से अंकन को दुरूस्त कर रामावतार पुत्र गुलाब दुरूस्त कर अंकित करवाया इसलिए राजस्व रिकार्ड मे शुद्व किये जाने योग्य है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया। हमने पत्रावली व पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजो व तहसीलदार लालसोट की रिपोर्ट का अवलोकन व मनन किया। तहसीलदार की रिपोर्ट में अंकित किया गया है कि प्रार्थीया के पति की विरासत का नामान्तकरण इसी प्रकार दर्ज किया था। जिससे हम इस निष्कर्ष पर पहुचते है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किये जाने योग्य है। प्रार्थी नामान्तकरण की अपील कर अनुतोष ले सकता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 26/8/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय से सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज०